

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-03/स्था0 शक्ति-03/2018(खंड)-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2026

श्री आलोक राज, भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभार ग्रहण करने की तिथि से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17, 19, 26 एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. साथ ही श्री राज को पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के लंबित मामलों के सम्पादन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए) 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि/भत्ता देय नहीं होगा।

4. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -03/स्था0 शक्ति-03/2018(खंड)-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण, छपरा/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, सारण, छपरा/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई-मेल/फैक्स

ह0/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -03/स्था0 शक्ति-03/2018(खंड)-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2026

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -03/स्था0 शक्ति-03/2018(खंड)-

753 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-06/05/2026

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब-साइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबन्धित को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।